

पंचायतीराज संस्थाओं के योगदान : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. चक्रमणि गुप्ता

सहायक प्राध्यापक (विधि)

पं. रामसुन्दर महाविद्यालय, पहड़िया, रीवा (म.प्र.)

शोध-सारांश: लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पंचायती राज व्यवस्था निम्न स्तरीय आधारभूत संरचना है। इस तरह कहा जा सकता है कि पंचायतीराज की सफलता ही लोककल्याणकारी राज्य की आधारशिला है। कल्याणकारी कारी राज्य की स्थापना के लिए किये गये प्रयासों में उत्कृष्ट प्रयास सामुदायिक विकास को माना गया जिसका समय समय पर सापेक्ष रूप परिवर्तित होता गया और उसमें पायी जाने वाली कमियों को धीरे धीरे दूर करने का उपक्रम किया गया जिससे एक संशोधित और परिवर्धित प्रभावशाली ढांचा पंचायती राज व्यवस्था के रूप में समुन्नत हुआ। जिसका पतमान स्वरूप मध्यप्रदेश पंचायती अधिनियम 1993 है। म.प्र. पंचायतीराज अधिनियम 1993 के साथ त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था 1994 लागू कर ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। प्रारंभिक स्थिति में पंचायतीराज व्यवस्था में त्रुटियों को दूर करने का प्रयास शिकायतें प्राप्त होने पर शासन द्वारा कई संशोधन अधिनियम लागू किये गये हैं, अपितु फिर भी ग्राम पंचायतें एवं उनके दायित्व व कार्य जन आकांक्षा के अनुरूप नहीं हो सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था विकास का परिणाम अवश्य है, किन्तु सामाजिक आवश्यकताओं एवं प्रकृति के अनुरूप राजनैतिक स्वरूप एवं संस्थाओं की क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है, यह प्रकृति का जीवंत नियम है। किसी भी क्षेत्र या योजना के लागू होने की स्थिति में उत्पन्न या संभावी समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है, तो परिस्थिति जन्म अन्य समस्यायें उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् सदैव एक समान समस्यायें नहीं होती एवं समस्त समस्याओं का निदान भी शीघ्र संभव नहीं होता।

मुख्य शब्द: पंचायतीराज, संस्थाओं, योगदान, समीक्षात्मक, लोककल्याणकारी, अध्ययन आदि।

संदर्भ ग्रंथ

- [1]. परांजपे डॉ. एन. वी. –विधिशास्त्र तथा विधि के सिद्धांत, सेन्टल लॉ-एजेन्सी, इलाहाबाद वर्ष 2005
- [2]. त्रिपाठी डॉ. टी.पी.–विधिशास्त्र, इलाबाद ला-एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद-2007
- [3]. सिंह इन्द्रजीत-श्रमिक विधियाँ सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद-2008
- [4]. त्रिपाठी सी.पी.–मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, इलाबाद ला-एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद-1983
- [5]. गुप्ता एस.पी. –विधिक भाषा लेखन, सेन्टल लॉ-एजेन्सी, इलाहाबाद वर्ष 1986
- [6]. परांजपे एन.वी.–विधिशास्त्र, सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद-1993
- [7]. परांजपे एन.वी.–भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास, सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद-2003
- [8]. सिंह डॉ. सी.पी.–बौद्धिक संपदा विधि, सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद
- [9]. राय डॉ. कैलास-अपकर विध एवं धनकर विधि, सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद
- [10]. डॉ. त्रिपाठी टी.सी.–संपत्ति अंतरण अधिनियम, सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद
- [11]. द्विवेदी डॉ. मुरलीधर-लोकहित की वकालत, सेन्टल ला-पब्लिकेशन, इलाहाबाद